

भिलाईनगर/ नगर पालिक निगम, भिलाई के आयुक्त श्री के0एल0 चौहान के निर्देशानुसार आज निगम भिलाई के जोन 01 नेहरु नगर एवं जोन 03 मदर टेरेसा नगर कार्यालय के अंतर्गत राजस्व एवं स्वास्थ्य विभाग के कर्मचारियों के द्वारा वार्ड 06 सुपेला बाजार पम्प हाउस के पास किये गये अवैध कब्जे एवं जलेबी चौक से जीई रोड तक नाली के उपर अतिक्रमण कर बनाये गये स्लैब को जेसीबी के माध्यम से हटाया गया। साथ ही उक्त अतिक्रमणकारियों को चेतानवी दी गई कि कब्जा मुक्त किये गये जगह पर पुनः निर्माण न करें अन्यथा निगम एक्ट के तहत नियमानुसार दण्ड राशि की वसूली की कार्यवाही जावेगी।

निगम आयुक्त श्री के0एल0 चौहान के निर्देशानुसार सभी जोन अंतर्गत बारिश के मौसम को देखते हुए निगम क्षेत्र में ऐसे स्थान जहां बारिश का पानी का जमाव हो जाता है जिसके कारण क्षेत्र के नागरिकों को आवागमन में असुविधा होती है तथा नाली एवं नाला का गंदा पानी सड़को पर आ जाता है जिसके कारण क्षेत्र में बदबू के साथ-साथ विभिन्न प्रकार के बिमारियों की आशंका बनीं रहती है इसलिए निगम आयुक्त के द्वारा राजस्व एवं स्वास्थ्य अमले के अधिकारी एवं कर्मचारियों को नियमित रूप से प्रतिदिन अपने-अपने वार्डों में भ्रमण कर नाली, नाला की सफाई सुनिश्चित करें साथ ही आम नागरिकों से अपील करें कि घर से निकलने वाले कचरे को नाली में न डालें जिससे नाली का बहता पानी अवरुद्ध हो जाये घर से निकलने वाले कचरे को निर्धारित डस्टबीन में रखकर सफाई मित्रों को दें।

जनसम्पर्क अधिकारी



